

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)  
 धारा-143 जमींदारी विनाश अधिनियम  
 परगना - भूमा सम्भलहेडा

वाद सं० 139/2008-09  
 ग्राम - रसूलपुर

सरकार बनाम राम प्रसाद सिंह

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनांक 24.03.09 के आधार पर प्रारम्भ हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम रसूलपुर परगना भूमा सम्भलहेडा में खाता संख्या-215 में खसरा नं०-3 क्षेत्रफल 0.553 है० लगान 24.30 रु० पर राम प्रसाद सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह अध्यक्ष आकांक्षा एजुकेशनल सोसायटी के नाम राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है परन्तु उक्त खसरा नं० में स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः खसरा नं०-3 क्षेत्रफल 0.553 है० पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। नकल खसरा, नकल शजरा व नकल नक्शा-45, नकल खतौनी व प्रपत्र नियम-135 साथ संलग्न करते हुए आख्या ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनांक 24.03.09 का अवलोकन व परीक्षण किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार आख्या दिनांक 24.3.09 में उल्लिखित प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ उद्घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनांक 24.03.09 के आधार पर ग्राम रसूलपुर परगना भूमा सम्भलहेडा के खाता संख्या-215 में खसरा नं०-3 क्षेत्रफल 0.553 है० लगान 24.30 रु० को धारा-143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार प्राख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनांक:- 31.03.09

(अशोक कुमार)  
 उप जिलाधिकारी जानसठ  
 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

31/3/09



(अशोक कुमार)  
 उप जिलाधिकारी जानसठ  
 मुजफ्फरनगर।

Copied By... *Photocopy*  
 Compared By...  
 Words...  
 Date of Application...  
 Date of Notice...  
 Date of Delivery...  
 Stamp...

TRUE COPY  
 Reader To...  
 JANJATH  
 5/5/9



संख्या-136/08-09  
 31/3/09  
 राजस्व अभिलेखीकरण विभाग  
 जयपुर

**न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)**

वाद सं० 136/2008-09  
 ग्राम - रसूलपुर

धारा- 143 जमींदारी विनाश अधिनियम  
 परगना - भूम्या सम्भलहेडा

सरकार बनाम राम प्रसाद सिंह

**निर्णय**

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनोंक 24.03.09 के आधार पर प्रारम्भ हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम रसूलपुर परगना भूम्या सम्भलहेडा में खाता संख्या-200 में खसरा नं०-4 क्षेत्रफल 0.955 है 0 लगान 30.45 रु० राम प्रसाद सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष आकांक्षा एजुकेशन सोसायटी के नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है परन्तु उक्त खसरा नं० में स्थल पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः खसरा नं०-4 क्षेत्रफल 0.955 है 0 पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है; नकल खसरा, नकल राजरा व नकल नक्शा-45, नकल खातीनी व प्रपत्र नियम-135 साथ संलग्न करते हुए आख्या ज०वि० अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनोंक 24.03.09 का अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार आख्या दिनोंक 24.3.09 में उल्लिखित प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ उदघोषित किये जाने योग्य हैं।

**आदेश**

अतः तहसीलदार जानसठ की आख्या दिनोंक 24.03.09 के आधार पर ग्राम रसूलपुर परगना भूम्या सम्भलहेडा के खाता संख्या-200 में खसरा नं०-4 क्षेत्रफल 0.955 है 0 लगान 30.45 रु० को धारा-143 जमींदारी विनाश एवं भूमि धारण अधिनियम के अन्तर्गत कृषि, बागवानी अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ उदघोषित किया जाता है। तदनुसार प्राख्यापन जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाये।

दिनोंक- 31.03.09

(अशोक कुमार)  
 उप जिलाधिकारी जानसठ  
 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनोंकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

31/3/09

(अशोक कुमार)  
 उप जिलाधिकारी जानसठ  
 मुजफ्फरनगर।



Copied By: *Photocopy*  
 Compared By: *...*  
 Date of Copying: *...*  
 Date of Issue: *...*  
 Date of Delivery: *...*

**TRUE COPY**  
 5-5-09